

5.4.2022

पत्रावली पेशद्वारा वकील जर्ची. उपर (अप्रावर्गण
सं. 120 के डी विधिवत रूप से आवाजे
लगाई गई परन्तु कोई उपर नहीं।
ऐसी स्थिति में प्रवि. सं. 120 के विरुद्ध
एक तरफ कार्यवाही के आदेश पारित
किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः
अप्रावर्गण सं. 120 अतः एसेसे
उनके विरुद्ध एक तरफ कार्यवाही के
आदेश प्रदान किये जाते हैं साथ
ही जर्ची का प्रा. पत्र 111, 120 L.R. में
विरुद्ध अप्रावर्गण स्वीकार किया जाता है।
निर्णय पृष्ठ से लिखा जाकर शाब्द
पत्रावली केवल सुभार होना चाहिए
पत्रावली 3
उप. अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)